

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2010

आयकर

का.आ. 2564(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80ड की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा “क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड”, बी 0301, सिटी प्वाइंट, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी (पूर्व), मुम्बई-400 059 को उक्त अधिनियम की धारा 80ड के प्रयोजनार्थ एक “वित्तीय संस्थान” के रूप में विहित करती है।

[अधिसूचना सं. 79/2010/फा. सं. 178/49/2008-आई टी ए-1]

रमण चोपड़ा, निदेशक